

परिशिष्ट-1
आवेदन प्रारूप (निःशुल्क)

मध्यप्रदेश शासन
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना हेतु
आवेदन प्रारूप

दिनांक.....

प्रति,

1. आयुक्त नगर निगम
नगर निगम.....
जिलाम.प्र.।
या
2. मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर निगम/नगर परिषद.....
जिलाम.प्र.।
या
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत
जिलाम.प्र.।

आवेदिका (वधू) का नवीन पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ	आवेदिका के वर का नवीन पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ
--	--

विषय:- मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना (संशोधित योजना 2022) अंतर्गत सहायता प्रदाय करने बावत।

भाग- 1 : आवेदिका (वधू) की जानकारी

1. वधू की 9 अंकों की समग्र आईडी क्रमांक

(वधू की समग्र आईडी यदि नहीं हो तो संबंधित निकाय द्वारा समग्र आईडी उपलब्ध कराई जायेगी)
2. वधू का 12 अंकों का आधार नम्बर
3. वधू का नाम
4. वधू की माता का नाम
5. वधू के पिता/अभिभावक का नाम
6. जाति वर्ग

एससी	एसटी	ओबीसी	सामान्य
------	------	-------	---------
7. वधू की जन्म तिथि/...../.....आयु..... (विवाह के दिनांक को वधू की आयु न्यूनतम 18 वर्ष होना अनिवार्य है)

8. वधू/अभिभावक का 10 अंकों का मोबाईल नम्बर.....
9. वधू का वर्तमान निवासी स्थान व पूर्ण पता
निवासी..... ग्राम/नगर.....
निकाय.....जिला.....राज्य
10. वधू/ वधू के अभिभावक का मूल निवासी स्थान व पूर्ण पता.....
निवासी..... ग्राम/नगर.....
निकाय.....जिला.....राज्य
11. क्या वधू श्रम विभाग के अंतर्गत मध्यप्रदेश भवन एवं संनिर्माण कर्मकार मण्डल के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक परिवार की सदस्य है? हां/नहीं-
यदि हां तो श्रमिक कार्डधारी का नाम..... कार्ड क्रमांक
जारी दिनांककार्ड वैधता दिनांकआवेदन प्रथम, द्वितीय
अथवा तृतीय कन्या हेतु किया गया है यहाँ स्पष्ट करें
12. क्या वधू दिव्यांग है? हां / नहीं
यदि हां तो दिव्यांगता का प्रकार प्रतिशत..... तथा
यूडीआईडी कार्ड का नम्बर
13. कल्याणी(विधवा)/परित्यक्ता होने की स्थिति में पूर्व पति का नाम
..... एवं पूर्व विवाह होने की दिनांक
14. परित्यक्ता होने की स्थिति में विवाह विच्छेद होने का
दिनांक.....(न्यायलयीन आदेश के दिनांक को यहां भरा जाये)
15. कल्याणी(विधवा) होने की स्थिति में स्व. पति के मृत्यु प्रमाण पत्र का
क्रमांक..... दिनांक

आवेदिका(वधू) के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

भाग- 2

:: वधू का स्व-प्रमाणित घोषणा पत्र ::

मैं पिता

निवासी..... ग्राम/नगर.....

निकाय.....जिला.....राज्य

सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करती हूं, कि –

हस्ताक्षर			
1.	मेरा इससे पहले कभी विवाह नहीं हुआ, अथवा;	☐	
2.	मेरा पूर्व में विवाह हुआ किन्तु मेरे पति की मृत्यु हो गई है, अथवा;	☐	
3	मेरा पूर्व में विवाह हुआ किन्तु मेरा पति से कानूनी तलाक हो चुका है	☐	

मैं मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता योजना प्राप्त करने हेतु पात्र हूँ। ऊपर बताई गई जानकारी व आवेदन पत्र में उल्लेखित जानकारी सही है। यदि जानकारी असत्य पाई जाती है तो मेरा आवेदन निरस्त किया जा सकता है। यदि मेरे द्वारा कोई तथ्य छिपाकर सहायता राशि प्राप्त कर ली गई है तो मुझसे मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना राशि जिला प्रशासन द्वारा वसूल की जा सकती है। मैं विवाह अपनी सहमति से कर रही हूँ साथ ही आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज का उपयोग विभागीय योजनाओं में करने पर सहमत हूँ।

दिनांक

स्थान

आवेदिका (वधू) के हस्ताक्षर/
अंगूठे का निशान

भाग- 3
:: वर की जानकारी ::

1. वर की समग्र आईडी क्रमांक

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(वर मध्यप्रदेश का निवासी नहीं होने की स्थिति में अनिवार्य नहीं)
2. वर का आधार कार्ड नम्बर

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3. वर का नाम
4. पता..... ग्राम/नगर.....
निकाय.....जिला.....राज्य.....
5. वर की माता का नाम
6. वर के पिता/अभिभावक का नाम
7. वर की जाति वर्ग

एससी	एसटी	ओबीसी	सामान्य
------	------	-------	---------
8. वर की जन्म तिथि/...../.....आयु..... (विवाह के दिनांक को वर की आयु न्यूनतम 21 वर्ष होना अनिवार्य है।)
9. वर का मोबाईल नम्बर
10. क्या वर दिव्यांग है? हां / नहीं
यदि हां तो दिव्यांगता का प्रकार प्रतिशत.....
तथा यूडीआईडी कार्ड का नम्बर

वर के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

भाग- 4

:: वर का स्व-प्रमाणित घोषणा पत्र ::

मैं पिता

पता..... ग्राम/नगर.....

निकाय.....जिला.....राज्य

सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूं, कि –

			हस्ताक्षर
1.	मेरा इससे पहले कभी विवाह नहीं हुआ, अथवा;	☐	
2.	मेरा पूर्व में विवाह हुआ किन्तु पत्नी की मृत्यु हो गई है, अथवा;	☐	
3	मेरा पूर्व में विवाह हुआ किन्तु पत्नी से कानूनी तलाक हो चुका है,	☐	

ऊपर बताई गई जानकारी व आवेदन पत्र में उल्लेखित जानकारी सही है। यदि जानकारी असत्य पाई जाती है तो मेरा आवेदन निरस्त किया जा सकता है। मैं यह विवाह अपनी सहमति से कर रहा हूं साथ ही आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज का उपयोग विभागीय योजनाओं में करने पर सहमत हूं।

दिनांक

स्थान

वर के हस्ताक्षर/
अंगूठे का निशान

भाग- 5

:: विवाह की जानकारी ::

1. आवेदन का दिनांक
2. विवाह दिनांक विवाह स्थान
3. निकाय का नामजिलाम.प्र.

संलग्न दस्तावेज का विवरण –

1. वधू/वधू के अभिभावक का मध्यप्रदेश के मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र,
2. वधू व उसके वर के समग्र परिवार आईडी कार्ड की छायाप्रति (वर मध्यप्रदेश का निवासी नहीं होने की स्थिति में अनिवार्य नहीं),
3. वधू व वर का आधार कार्ड की छायाप्रति,
4. वधू व वर का आयु प्रमाण पत्र। आयु की पुष्टि हेतु वधू व वर का निम्न में से कोई एक दस्तावेज -

☐	1) स्कूल का प्रमाण पत्र (टी.सी.)	☐	2) अंक सूची जिसमें जन्म तिथि अंकित हो
☐	3) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया, जन्म प्रमाण पत्र	☐	4) मतदाता सूची/मतदान परिचय पत्र जिसमें आयु अथवा जन्म तिथि अंकित हो
☐	5) शासकीय चिकित्सा विशेषज्ञ द्वारा आयु हेतु जारी प्रमाण पत्र	☐	6) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम का जाब कार्ड
☐	7) अन्य दस्तावेज जो आयु सिद्ध करने हेतु कानूनी रूप से स्वीकार्य हो		

5. वधू व उसके वर के पासपोर्ट साईज के दो-दो फोटोग्राफ।
6. वधू व वर का मोबाईल नम्बर
7. कल्याणी(विधवा) होने की स्थिति में पूर्व पति का मृत्यु प्रमाण पत्र,
8. परित्यक्त महिला होने की स्थिति में कानूनी रूप से तलाक होने का न्यायालयीन आदेश की प्रतिलिपि,
9. यदि आवेदक मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक है तो श्रमिक पंजीयन कार्ड की छायाप्रति।

दिनांक

स्थान

आवेदिका(वधू) के पति के हस्ताक्षर/
अंगूठे का निशान

वर के हस्ताक्षर/
अंगूठे का निशान

:: वधु पक्ष ::

-: मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना:-

कार्यालय ग्रा.पं./न.निज.पं./तहसील जिला

-: अविवाहित प्रमाण पत्र एवं पंचनामा (वधु):-

क्रमांक/ग्रा.पंचा./न.नि./अ.वि.प्र.प./..... ग्रा.पंचा./न.नि. दिनांक

प्रमाणित किया जाता है कि कन्या कु. (समग्र सदस्य ID) जन्म तिथि पिता श्री (समग्र परिवार ID) अपने परिवार के साथ ग्राम/वार्ड ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय.....तहसील में स्थायी रूप निवासरत हैं एवं वर्तमान में (अविवाहित/विधवा/परित्यक्ता) हैं। (यदि विधवा/परित्यक्ता हैं तो पूर्व पति का नाम) इनके माता-पिता/अभिभावक म.प्र.भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मण्डल अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक (हां/नहीं) हैं। (यदि हां तो कार्ड क्रमांक) एवं उल्लेखित कन्या इनकी (पहली/दूसरी/तीसरी..) पुत्री है। इनका विवाह वर श्री..... (समग्र सदस्य ID -) जन्म तिथि पिता श्री निवासी तहसील जिला राज्य के साथ आयोजनकर्ता निकाय द्वारा आयोजित मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह (सामूहिक) सम्मेलन, दिनांक में होना तय हुआ है। वर-वधु द्वारा शासन द्वारा निर्धारित विवाह योग्य आयु पूर्ण कर ली है तथा संलग्न दस्तावेजों का मूल दस्तावेजों से मिलान कर लिया गया है एवं पात्र हैं। इसके पूर्व उल्लेखित वर-वधु द्वारा म.प्र. में प्रचलित किसी भी कन्या विवाह/ निकाह सहायता योजना का लाभ नहीं लिया गया है। (यदि लाभ लिया गया है तो, योजना का नाम)

(हस्ता. एवं सील)
आंगनवाडी कार्यकर्ता
आंगनवाडी केन्द्र
नाम
मो.

(हस्ता. एवं सील)
आशा कार्यकर्ता
ग्रा.पंचा./वार्ड
निकाय

(हस्ता. एवं सील)
ग्राम रोजगार सहा. / वार्ड प्रभारी
ग्रा.पंचा./वार्ड
निकाय

ग्राम कोटवार
ग्राम/ वार्ड
नाम
मो.

(हस्ता. एवं सील)
सचिव/सहा.रा.निरीक्षक
ग्रा.पंचा./वार्ड
निकाय

यदि आयोजनकर्ता निकाय एवं वधु के निवास का निकाय अलग-अलग है तो निकाय प्रमुख का प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त अविवाहित प्रमाण पत्र सही एवं सत्य है एवं जनपद पंचायत/नगरीय निकाय की ग्राम पंचायत/ वार्ड..... की समिति द्वारा जारी किया गया है।

(हस्ता. एवं सील)
आयुक्त न.नि./मुख्य कार्यपालन अधि./मुख्य नगरपालिका अधि.
नगरीय निकाय/जनपद पंचायत
जिला

:: वर पक्ष ::

-: मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना:-

कार्यालय ग्रा.पं./न.निज.पं./तहसील जिला

-: अविवाहित प्रमाण पत्र एवं पंचनामा (वर):-

क्रमांक/ग्रा.पं.चा./न.नि./अ.वि.प्र.प./..... ग्रा.पं.चा./न.नि. दिनांक

प्रमाणित किया जाता है किवर श्री. (समग्र सदस्य ID) जन्म तिथि पिता श्री (समग्र परिवार ID) अपने परिवार के साथ ग्राम/वार्ड ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय तहसील जिला राज्य में स्थायी रूप निवासरत हैं एवं वर्तमान में (अविवाहित/विधुर/परित्यक्त) हैं। (यदि विधुर/परित्यक्त हैं तो पूर्व पत्नी का नाम) इनका विवाह वधु/ कन्या कु (समग्र सदस्य ID -) जन्म तिथि पिता श्री निवासी तहसील जिला राज्य के साथ आयोजनकर्ता निकाय द्वारा आयोजित मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह (सामूहिक) सम्मेलन, दिनांक में होना तय हुआ है। वर-वधु द्वारा शासन द्वारा निर्धारित विवाह योग्य आयु पूर्ण कर ली है तथा संलग्न दस्तावेजों का मूल दस्तावेजों से मिलान कर लिया गया है एवं पात्र हैं। इसके पूर्व उल्लेखित वर-वधु द्वारा म.प्र. में प्रचलित किसी भी कन्या विवाह/ निकाह सहायता योजना का लाभ नहीं लिया गया है। (यदि लाभ लिया गया है तो, योजना का नाम)

(हस्ता. एवं सील)
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता
आंगनवाड़ी केन्द्र
नाम
मो.

(हस्ता. एवं सील)
आशा कार्यकर्ता
ग्रा.पं.चा./वार्ड
निकाय

(हस्ता. एवं सील)
ग्राम रोजगार सहा./ वार्ड प्रभारी
ग्रा.पं.चा./वार्ड
निकाय

ग्राम कोटवार
ग्राम/ वार्ड
नाम
मो.

(हस्ता. एवं सील)
सचिव/वार्ड प्रभारी
ग्रा.पं.चा./वार्ड
निकाय

यदि आयोजनकर्ता निकाय एवं वर के निवास का निकाय अलग-अलग है तो निकाय प्रमुख का प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त अविवाहित प्रमाण पत्र सही एवं सत्य है एवं जनपद पंचायत/नगरीय निकाय की ग्राम पंचायत/ वार्ड की समिति द्वारा जारी किया गया है।

(हस्ता. एवं सील)
आयुक्त न.नि./मुख्य कार्यपालन अधि./मुख्य नगरपालिका अधि.
नगरीय निकाय/जनपद पंचायत
जिला

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजनांतर्गत जांच प्रतिवेदन

दिनांक

1. आवेदिका का नाम :
2. पता : ग्राम/नगर ग्राम पंचायत
निकाय जिला राज्य
3. माता का नाम :
4. पिता/अभिभावक का नाम :
5. वर का नाम :
6. पिता का नाम :
7. पता :
8. जन्मतिथि
a. वधु - / / (dd/mm/yyyy)
b. वर - / / (dd/mm/yyyy)
9. आवेदिका विधवा/परित्यक्तता श्रेणी की है तो उसका विवरण
10. जांच अधिकारी की टीप : जांच अधिकारी द्वारा जांच पश्चात पात्र/अपात्र पाये जाने की स्पष्ट अनुशंसा
अंकित की जावे -

.....

.....

.....

हमारे द्वारा उक्त आवेदनकर्ता की पात्रता का सूक्ष्मता से परीक्षण कर यह जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

जांच समिति (सदस्य) के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा

क्र	नाम	पदनाम	हस्ता. एवं सील
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना

कार्यालय नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद/ जनपद पंचायत

.....जिलाम.प्र.

:: पावती ::

क्रमांक

दिनांक

आवेदिका(वधू)..... समग्र आईडी

वर..... समग्र आईडी

वधू पता..... ग्राम/नगर.....

निकाय..... जिला.....राज्य

द्वारा सामूहिक विवाह कार्यक्रम स्थान दिनांक

.....में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए किया गया आवेदन पत्र मेरे द्वारा प्राप्त किया गया जिसके साथ निम्नानुसार दस्तावेज संलग्न पाये गये है।

संलग्न दस्तावेज का विवरण –

1. मध्यप्रदेश के मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र,
2. वधू व वर के समग्र परिवार आईडी कार्ड की छायाप्रति,
3. वधू व वर आधार कार्ड की छायाप्रति,
4. वधू व वर के का आयु प्रमाण पत्र,
5. वधू व वर के पासपोर्ट साईज के दो-दो फोटोग्राफ,
6. कल्याणी(विधवा) होने की स्थिति में पूर्व पति का मृत्यु प्रमाण पत्र,
7. परित्यक्त महिला होने की स्थिति में कानूनी रूप से तलाक होने का न्यायालयीन आदेश,
8. पंजीकृत श्रमिक होने की स्थिति में श्रमिक पंजीयन कार्ड की छायाप्रति ।

नाम/पदनाम/हस्ताक्षर

आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी/

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद/ जनपद पंचायत,

जिलामध्यप्रदेश